REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जून 24, 2004/आषाढ़ 3, 1926
No. 567] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 24, 2004/ASADHA 3, 1926

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2004

का.आ. 729(अ).— केंद्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) की अधिसूचना सं0 का. आ. 78 (अ) तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 का 388.180 कि.मी. से 443.00 कि.मी. खंड (गुजरात राज्य में रतनपुर-हिम्मतनगर खंड) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा था ।

अतः, अब, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखंड और स्थायी पुल के उपयोग के लिए फीस-लोक वित्तपोषित परियोजनाएं) नियमावली, 1997 के नियम 3, 5 और 11 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के 388.180 कि.मी. से 443.00 कि.मी. (गुजरात राज्य मे रतनपुर-हिम्मतनगर खंड) तक उक्त खंड के प्रयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभागीय तौर पर सीधे अथवा प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा के आधार पर निजी ठेकेदार के माध्यम से संलग्न अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट यंत्रीकृत यानों पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्ग्रहीत और संदत्त की जाएगी । यह फीस इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अथवा उक्त चार लेन वाले खंड को यातायात के लिए खोले जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, स्थायी आधार पर संगृहीत की जाएगी ।

अनुसूची

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के 388.180 कि.मी. से 443.00 कि.मी. (गुजरात राज्य में रतनपुर-हिम्मतनगर खंड) तक चार लेन वाले खंड के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दर ।

यह फीस उक्त खंड में केवल एक स्थान पर संगृहीत की जाएगी ।

क्र. सं.	यान का प्रकार	एकमार्गीय यात्रा के लिए वाहन फीस दर (रुपए)	दिन में अनेक यात्राओं के लिए वाहन फीस दर (रुपए)
1.	2.	3.	4.
1.	कार या वैन या जीप	25	38
2.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	45	68
3.	ट्रक या बस	95	143
4.	भारी निर्माण मशीनरी और अर्थमूविंग उपस्कर	205	308

नोट:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए -

1. जब उसी यान को एक दिन में एक से अधिक बार पथकर चौकी को पार करना है तो प्रयोक्ता को यह विकल्प होगा कि वह पहली बार ही द्वार पार करते समय अनुसूची में दी गई दरों पर अनेक बार यात्रा के लिए फीस का संदाय कर दे अथवा यदि यान को संपूर्ण मास में लगातार या प्रायः बार बार उक्त खंड का प्रयोग करना पड़ता है तो यान का स्वामी पूर्वोक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उसको लागू एकल दरों के तीस गुणा के बराबर प्रभारों का संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है ।

2. निम्नलिखित प्रकार के यानों को पूर्वोक्त अनुसूची में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट फीस से छूट होगी अर्थात् :

(i) ऐसे यान -

(अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति" प्रतीक वाले हैं, या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :-

(क) भारत के राष्ट्रपति,

(ख) भारत के उप राष्ट्रपति,

(ग) राज्य के राज्यपाल अथवा संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल

(घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति,

(ड) 'सी डी'/'सी सी' संख्या प्लेट वाली कारों का उपयोग कर रहे भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक,

(च) राज्य सभा के अध्यक्ष या लोक सभा के स्पीकर या राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष या राज्य विधान सभा के स्पीकर या संघ या राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री की हैसियत वाले लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडल में विपक्ष के नेता यदि वह यान में बैठे हों, या

(छ) संपूर्ण देश में संसद सदस्य या अपने अपने राज्य में राज्य की विधान सभा के सदस्य या राज्य की विधान परिषद के सदस्य यदि वह संसद या संबद्ध राज्य के विधान मंडल द्वारा, जैसा मामला हो, जारी किए गए पहचान पत्र को प्रस्तुत करें,

(ब) शौर्य पुरस्कार अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता को, यदि ऐसा पुरस्कृत व्यक्ति, ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित पहचान पत्र प्रस्तुत करें ।

(ii) रक्षा यान, पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यरत्थ यान ।

3. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और उस प्राधिकारी का नाम, पता, टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी चाहिए, पथकर चौकी से 500 मी0 आगे, पथकर चौकी से 100 मी0 आगे और पथकर चौकी पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किया जाएगा । संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्डों को पढ़ना सहज हो ।

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एन एच–37011/20/2002–पी आई सी]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (स. वि.) व विशेष सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2004

S.O. 729(E). -- WHEREAS, the Central Government, vide notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing), number 78 (E) dated 4th Feburary, 1999 issued under section 11 of National Highways Authority of India Act 1988(68 of 1988), entrusted the section of National Highway number 8 from km 388.180 to km 443.00 (Ratanpur – Himatnagar section in the State of Gujarat) to the National Highways Authority of India.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rules 3, 5 and 11 of the National Highways (Fees for the use of National Highways section and permanent Bridge-Public Funded Projects) Rules, 1997, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles specified in column (2) of the Schedule annexed hereto by the National Highways Authority of India departmentally, directly or through private contractor on the basis of competitive bidding for the use of the said section from km 388.180 to km 443.00 (Ratanpur – Himatnagar section in the State of Gujarat) of National Highway number 8 at the rates specified in the Schedule. The fee shall be collected in perpetuity from the date of the publication of this notification or date of opening of the said four laned section to traffic whichever is later.

SCHEDULE

Rate of Fee to be recovered from the users of four-laned stretch of National Highway number 8 from km 388.180 to km 443.00 (Ratanpur – Himatnagar section in the State of Gujarat).

The fee shall be collected at single location only within the said section.

Sl. No.	Type of vehicle	Fee rate for vehicle for one way trip (Rupees)	Fee rate for vehicle for multiple trip in a day (Rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Car or Jeep or Van	25	38
2.	Light commercial vehicles	45	68
3.	Truck or Bus	95	143
4.	Heavy construction machinery and earth moving equipment	205	308

Note: - For the purposes of this notification, -

1. When the same vehicle has to cross the toll booth more than once in a day, the user shall have the option to pay the fee for the multiple trips at the rates as given in Schedule above while crossing the gate in first trip itself or if the vehicle has to use the said stretch continuously and frequently for the entire month, the vehicle owner can have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times single rates applicable to it as specified in the aforesaid Schedule.

2: The following types of vehicles shall be exempted from the fee specified above in the Schedule, namely: -

(i) vehicles-

(A) having "VIP" symbols; or officially belonging to -

(a) President of India;

(b) Vice-President of India;

(c) Governor of a state or Lt. Governor of a Union Territory;

(d) A Foreign Dignitary on State visit to India;

(e) A Foreign diplomat stationed in India using cars with "CD"/ "CC" number plates;

(f) Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislative Assembly or a Minister for the Union or State, or Leaders of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures, having the status of Cabinet Minister, if he is sitting in the vehicle; or

(g) a Member of Parliament, in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective state, if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

(B) belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such Award

(ii) Defence vehicles, Police vehicles, Fire-fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Posts and Telegraphs Department vehicles and Central Government and State Government vehicles on duty.

3. The rates of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of the authority to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500m ahead of the toll booths, 100m ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards.

[F. No. RW/NH-37011/20/2002-PIC]

INDU PRAKASH, Director General (Road Development) and Spl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.